Drishti IAS

करेंट अफेयर्स झारखंड

जून (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड

- नक्सल समस्या सीमित 3
- आदिवासियों के भूमि अधिकार और SC/ST अधिनियम 4
- अबुआ आवास योजना 4
- सिकल सेल एनीमिया रोगियों को पेंशन लाभ 5
- बाघिनों को पलामू रिज़र्व में स्थानांतरित किया गया 6
- पर्यटन स्थल के रूप में बुरुडीह बाँध 7
- भूमिगत कोयला गैसीकरण हेतु भारत की पहली पायलट परियोजना 8

The Vision

नोट :

झारखंड

नक्सल समस्या सीमित

चर्चा में क्यों ?

पुलिस महानिदेशक (DGP) के अनुसार, झारखंड में **नक्सलियों** पर संयुक्त हमलों से उनका अभियान कुल 24 ज़िलों में से केवल 5 ज़िलों तक सीमित हो गया है, जिसमें **चाईबासा सबसे अधिक प्रभावित है।**

मुख्य बिंदु:

- **नक्सलवाद की उत्पत्ति स्थानीय ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई,** जिन्होंने भूमि विवाद को लेकर किसानों की पिटाई की थी।
  - यह विद्रोह **वर्ष 1967 में कानू सान्याल और जगन संथाल** के नेतृत्व में मेहनतकश किसानों के बीच भूमि के उचित पुनर्वितरण के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- **पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन** पूर्वी भारत के कम विकसित क्षेत्रों जैसे **छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश** तक फैल चुका है।
- ऐसा माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और विचारधारा का समर्थन करते हैं।
  - **माओवाद माओ त्से तुंग** द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है।
  - यह सशस्त्र विद्रोह, जन-आंदोलन और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से **राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा करने का सिद्धांत है।**
- वर्तमान में **नशीले पदार्थों की तस्करी** से निपटने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप नशीले पदार्थों के तस्करों को पकड़ा जा रहा है तथा **स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985** के अंतर्गत अफीम की बड़ी मात्रा में ज़ब्ती की जा रही है।

नशीले पदार्थों की तस्करी

- नशीले पदार्थों की तस्करी से **तात्पर्य अवैध दवाओं का निर्माण, वितरण और बिक्री से जुड़े अवैध व्यापार** से है
- इसमें **अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ी कई तरह की गतिविधियाँ** शामिल हैं, जिनमें **कोकीन, हेरोइन, मेथैम्फेटामाइन और सिंथेटिक ड्रग्स** जैसे पदार्थों का उत्पादन, साथ ही इन पदार्थों का परिवहन तथा वितरण शामिल है
- नशीली दवाओं की तस्करी **आपराधिक संगठनों के एक जटिल नेटवर्क के भीतर संचालित** होती है जो सीमाओं, क्षेत्रों और यहाँ तक कि महाद्वीपों तक फैली हुई है।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

- यह किसी व्यक्ति को किसी भी **मादक दवा या मन:प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन करने, भंडारण** करने और/**या उपभोग** करने से प्रतिबंधित करता है।
- **NDPS अधिनियम, 1985 के एक प्रावधान के तहत मादक पदार्थ दुरुपयोग नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष भी बनाया गया,** ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके।

नोट :

आदिवासियों के भूमि अधिकार और SC/ST अधिनियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे **आदिवासी लोगों के भूमि अधिकारों** की रक्षा करने तथा उन संपत्तियों पर उनका स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिये त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जहाँ विवादों के बाद न्यायालय के निर्णय उनके पक्ष में आए हैं।

- इस बात पर ज़ोर देते हुए कि **अनुसूचित जनजातियाँ सबसे अधिक हाशिये पर और वंचित जनसंख्या रही हैं,** अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** के तहत पंजीकृत सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए।

मुख्य बिंदु:

- **भारतीय संविधान** **'जनजाति' शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है,** तथापि, '**अनुसूचित जनजाति**' शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342 (i) के माध्यम से शामिल किया गया था।
  - '**राष्ट्रपति** किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों के भागों या उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, **जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये यथा स्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "अनुसूचित जातियाँ" समझा जाएगा।**
  - संविधान की **पाँचवीं अनुसूची** में अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति **सलाहकार परिषद** स्थापित करने का प्रावधान है।
- **आदिवासी समुदायों के सामने सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों में से एक है सुरक्षित भूमि अधिकारों की कमी।** कई जनजातियाँ वन क्षेत्रों या दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहती हैं जहाँ भूमि और संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को अक्सर मान्यता नहीं दी जाती है, जिसके कारण विस्थापन तथा भूमि का अलगाव होता है।
- **SC/ST अधिनियम 1989 संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जो SC और ST समुदायों के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव पर रोक लगाने** तथा उनके विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिये बनाया गया है।
  - यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को भारतीय संसद में पारित किया गया तथा **30 जनवरी 1990 को अधिसूचित किया गया।**

अबुआ आवास योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने '**अबुआ आवास**' **योजना** के **प्रथम चरण में 2 लाख घरों के निर्माण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिये** तथा इस योजना में अनियमितता एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर ज़ोर दिया।

मुख्य बिंदु:

- यह योजना **पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने नवंबर 2023** में उन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिये शुरू की थी जो **PM आवास योजना (PMAY)** के तहत लाभ से वंचित थे।
- अबुआ आवास योजना (वर्ष 2023 में शुरू) के तहत, राज्य सरकार अगले दो वर्षों में **15,000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय करके ज़रूरतमंद लोगों को अपने स्वयं की निधि से आवास प्रदान करेगी।**
  - योजना के तहत गरीबों, वंचितों, मज़दूरों, किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को 3 कमरे के आवास उपलब्ध करवाएँ जाएँगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

- यह एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक 2 करोड़ (20 मिलियन) **आवास बनाने का लक्ष्य रखते हुए शहरी गरीबों को किफायती घर उपलब्ध कराना है।**

नोट :

- **इस योजना के दो मूल घटक हैं:**
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U)** शहरी गरीब लोगों की आवास आवश्यकताओं पर ध्यान देती है। शहरी गरीबों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जो वार्षिक घरेलू आय पर निर्भर करते हैं:
    - (i) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), (ii) निम्न आय वर्ग (LIG) (iii) मध्यम आय वर्ग (MIG)। इसके अतिरिक्त, शहरी जनसंख्या के भीतर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भी इस योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं।
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-R)** ग्रामीण भारत में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को संपत्ति का मालिक बनने में सहायता करने के लिये लाई गई है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ होंगी, जैसे-विद्युत, स्वच्छ जल, एक अच्छी तरह से विकसित सीवेज सिस्टम, एक स्वच्छता सुविधा आदि।

सिकल सेल एनीमिया रोगियों को पेंशन लाभ

चर्चा में क्यों ?

अधिकारियों के अनुसार, झारखंड के **खूंटी ज़िले** में **सिकल सेल एनीमिया** से पीड़ित लोगों को **1,000 रुपए मासिक पेंशन** मिलेगी।

मुख्य बिंदु:

- खूंटी ज़िला प्रशासन ने **स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना** के तहत सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिये पेंशन लाभ को स्वीकृति दे दी है।
- **पहले चरण में** विभिन्न ब्लॉकों से **नौ लाभार्थियों की पहचान** की गई है- **खूंटी और कर्रा से तीन-तीन, मुरहू से दो तथा तोरपा ब्लॉक से एक**।
- यदि कोई सिकल सेल रोग का मामला सामने आता है या बाद में इसकी पहचान की जाती है तो उसे इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- ज़िले में अब तक 99,165 लोगों की सिकल सेल जाँच की गई है।
- इनमें से 114 सिकल सेल रोग के वाहक पाए गए तथा कुल 46 व्यक्ति **सिकल सेल एनीमिया-थैलेसीमिया रोग** से पीड़ित पाए गए
- इनमें से नौ ऐसे लोग हैं जो **40 प्रतिशत या उससे अधिक सिकल सेल एनीमिया-थैलेसीमिया रोग से पीड़ित** हैं, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर योजना के तहत पेंशन दी जा रही है।

स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना

- यह **झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग** द्वारा शुरू की गई योजना है
- इसका उद्देश्य **पाँच वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांग जनों को सामाजिक सुरक्षा** प्रदान करना है, जिन्हें **वित्तीय सहायता** की आवश्यकता है
- यह योजना **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के रूप में संचालित होती है, जहाँ पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

सिकल सेल रोग

- सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जो हीमोग्लोबिन (**लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन परिसंचरण के लिये ज़िम्मेदार प्रोटीन**) में असामान्यता के कारण होता है
- इस विकार में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्द्धचंद्राकार हो जाता है और वाहिकाओं के माध्यम से उनकी गति बाधित होती है, जिससे **गंभीर दर्द, संक्रमण, एनीमिया तथा स्ट्रोक** जैसी संभावित जटिलताएँ हो सकती हैं
- केवल भारत में **प्रत्येक वर्ष अनुमानत: 30,000-40,000 बच्चे** सिकल सेल रोग के साथ पैदा होते हैं।

नोट :

थैलेसीमिया

- **सिकल सेल रोग** की तरह ही थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति **कम हीमोग्लोबिन के स्तर के कारण गंभीर एनीमिया** का अनुभव करते हैं, जिसके उपचार के लिये आजीवन रुधिर आधान और आयरन संचय को प्रबंधित करने के लिये केलेशन थेरेपी की आवश्यकता होती है।
- प्रमुख लक्षणों में **थकान, पीलापन या पीलिया, साँस की तकलीफ, शारीरिक विकास में विलंब, चेहरे की हड्डी की विकृति (गंभीर मामलों में)** आदि शामिल हैं।

बाघिनों को पलामू रिज़र्व में स्थानांतरित किया गया

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, पलामू टाइगर रिज़र्व (PTR) में स्थानांतरित हुए चार बाघों के जीवन निर्वहन के लिये दूसरे रिज़र्व से दो बाघिनों और एक बाघ को लाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- रिज़र्व में स्थापित **सॉफ्ट रिलीज़ सेंटर (Soft Release Centers- SRC)** में 350 जानवरों को स्थानांतरित करने के लिये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंज़ूरी का इंतज़ार है।
  - चीतल, सांभर और हिरणों को स्थानांतरित करने के लिये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA) से अनुमति पहले ही प्राप्त हो चुकी है।
- वन अधिकारियों ने बाघों के लिये पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने हेतु चार SRC स्थापित किये हैं, जिससे उन्हें रिज़र्व में प्रजनन करने में सहायता मिलेगी।
  - इन केंद्रों में पशुओं को पूर्व-मुक्ति पिंजरों में रखा जाता है, जो उस स्थान के निकट रखे जाते हैं जहाँ उन्हें स्वछंद छोड़ा जाएगा।
- बारेसाढ़, लुकैया, मुंडू और धरधरिया में सॉफ्ट रिलीज़ से 10-10 हेक्टेयर क्षेत्र कवर होता है, जिससे चीतल के प्रजनन के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार होता है, जो बाघों के लिये शिकार का कार्य करेगा।
- चीतल और सांभर को **बेतला राष्ट्रीय उद्यान** तथा भगवान बिरसा जैविक उद्यान (बिरसा चिड़ियाघर) से अलग SRC में स्थानांतरित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 में जारी भारत में बाघों की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार, **PTR में कोई बाघ नहीं थे।**
  - PTR करीब **1,230 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र में विस्तृत है। इसे **वर्ष 1973 में बाघ अभयारण्य** बनाया गया था।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

- यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक **सांविधिक निकाय** है। इसका गठन वर्ष 1992 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत किया गया था।
- इसके **अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री** हैं और इसमें 10 सदस्य तथा एक सदस्य-सचिव हैं।
- प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समृद्ध **जैवविविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को पूरक और मज़बूत बनाना है।**
- यह प्राधिकरण **चिड़ियाघरों को मान्यता** प्रदान करता है तथा देश भर के **चिड़ियाघरों को विनियमित** करने का भी कार्य करता है।
  - यह **दिशा-निर्देश और नियम निर्धारित करता है** जिसके तहत जानवरों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है।

नोट :

- यह चिड़ियाघर कर्मियों के क्षमता निर्माण, नियोजित प्रजनन कार्यक्रमों और बाह्य-स्थाने अनुसंधान पर **कार्यक्रमों का समन्वय और कार्यान्वयन** करता है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- **यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38L (1) के** तहत **एक वैधानिक निकाय है।**
- इसकी स्थापना **वर्ष 2005** में **टाइगर टास्क फोर्स** की सिफारिशों के बाद की गई थी।

पर्यटन स्थल के रूप में बुरुडीह बाँध

चर्चा में क्यों ?

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने **पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला उप-मंडल** में स्थित सुंदर बाँध के दौरे के दौरान अधिकारियों को **बुरुडीह बाँध** को **राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल** के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु

- मुख्यमंत्री ने **पर्यावरण संरक्षण** पर ज़ोर देते हुए **पौधा रोपण किया और एक पेड़ को राखी बाँधी,** इस दौरान उन्होंने झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता पर प्रकाश डाला।
  - उन्होंने धार्मिक स्थलों, जंगलों, बाँधों और झरनों सहित **राज्य भर में विभिन्न पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने हेतु** सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
  - सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कार्य कर रही है कि **स्थानीय किसानों को बाँध के जल संसाधनों से लाभ मिले** और राज्य की **तीव्र प्रगति के लिये सभी क्षेत्रों में समग्र विकास** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- **मुख्यमंत्री ने 45 करोड़ रुपए से अधिक की 2,141 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया** और कल्याणकारी योजनाओं के तहत 20,484 लाभार्थियों के बीच 71 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियाँ वितरित की गईं।
  - उन्होंने **200 यूनिट मुफ्त विद्युत उपलब्ध कराने, 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने** तथा **युवाओं** को आजीविका के लिये **वित्तीय सहायता** देने सहित सरकार की हालिया पहलों पर प्रकाश डाला।
  - उन्होंने वंचित परिवारों के लिये **अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 20 लाख आवास निर्माण** के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई तथा यह सुनिश्चित किया कि **'आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार'** कार्यक्रम के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएँ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।

अबुआ आवास योजना (Abua Awas Yojana- AAY)

- इस योजना के तहत राज्य सरकार अगले दो वर्षों में 15 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक व्यय करके **ज़रूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी।**
- इस योजना के तहत **गरीब, वंचित, मज़दूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े और दलितों को तीन कमरों का आवास उपलब्ध कराया जाएगा।**

आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम के तहत **राज्य की 4,351 पंचायतों और 50 वार्डों में शिविर आयोजित किये जाएंगे।**
- इन शिविरों में **उन ज़रूरतमंद लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा जो अब तक योजनाओं से वंचित थे।**

नोट :

भूमिगत कोयला गैसीकरण हेतु भारत की पहली पायलट परियोजना

चर्चा में क्यों ?

कोयला मंत्रालय, **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL)** झारखंड के जामताड़ा ज़िले में कास्ता कोयला ब्लॉक में **भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG)** के लिये एक पायलट परियोजना का संचालन कर रहा है।

मुख्य बिंदु:

- इसका उद्देश्य कोयला गैसीकरण का प्रयोग करके कोयला उद्योग में क्रांति लाना है, ताकि इसे **मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइ-ऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित किया जा सके।**
  - इन गैसों का उपयोग **सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक, विस्फोटक** और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिये रासायनिक फीडस्टॉक के उत्पादन में किया जा सकता है।
- **कोयला मंत्रालय** कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तथा कोयले को विभिन्न **उच्च मूल्य वाले रासायनिक उत्पादों** में परिवर्तित करने की उनकी क्षमता का अभिनिर्धारण करता है।
  - **पहले चरण** में बोरहोल ड्रिलिंग और कोर परीक्षण के माध्यम से **तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट** तैयार करना शामिल है। **अगले चरण** में पायलट स्तर पर **कोयला गैसीकरण पर ध्यान केंद्रित** किया जाएगा।
- इस पायलट परियोजना के सफल क्रियान्वयन से **भारत के ऊर्जा क्षेत्र** के लिये परिवर्तनकारी अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। यह देश के कोयला संसाधनों के दीर्घकालिक और कुशल उपयोग को प्रदर्शित करेगा।

कोयला गैसीकरण

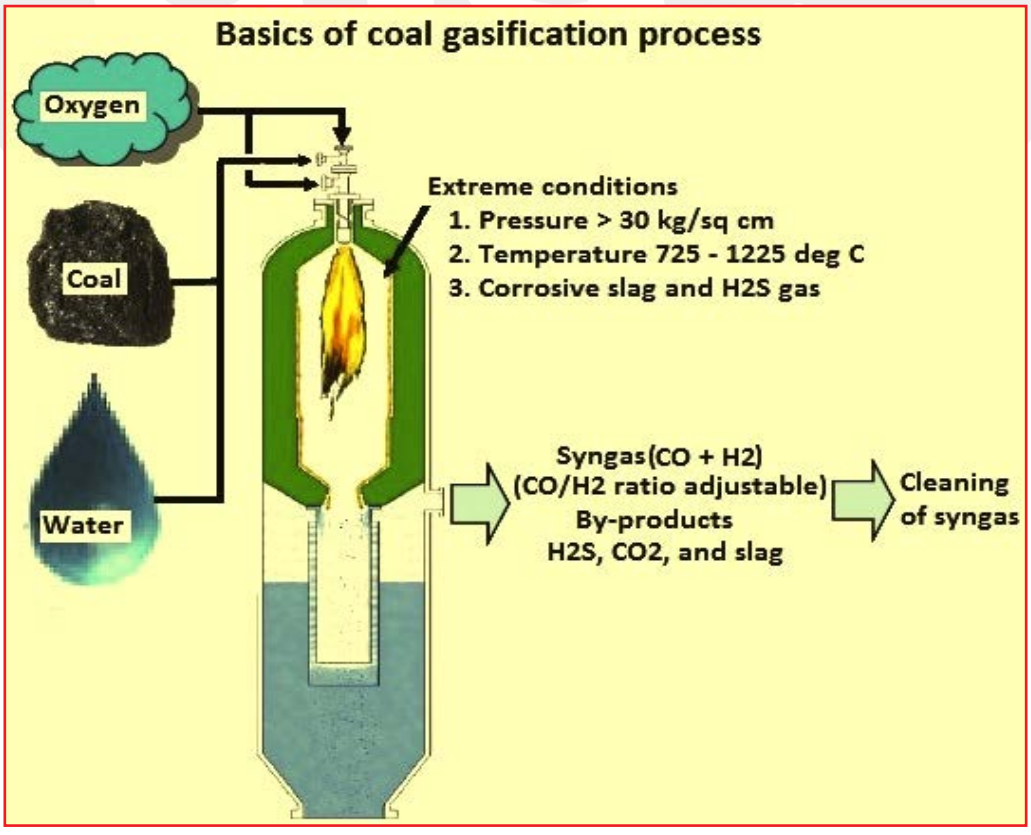

नोट :

- **प्रक्रिया:** कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयले को **वायु, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइ-ऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करके ईंधन गैस बनाया जाता है।**
  - इस गैस का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिये पाइप्ड प्राकृतिक गैस, मीथेन और अन्य गैसों के स्थान पर किया जाता है।
  - कोयले का इन-सीटू/स्व-स्थानीय गैसीकरण या **भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG)** वह तकनीक है जिसमें कोयले को भू-तल में रहते हुए ही गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर कुओं के माध्यम से उसका निष्कर्षण किया जाता है।
- **सिंथेटिक गैस का उत्पादन:** यह सिंथेटिक गैस का उत्पादन करता है जो मुख्य रूप से **मीथेन (CH4), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोजन (H2), कार्बन डाइ-ऑक्साइड (CO2) और जल वाष्प (H2O) का मिश्रण है।**
  - **सिंथेटिक गैस** का प्रयोग विभिन्न प्रकार के **उर्वरकों, ईंधनों, विलायकों और सिंथेटिक सामग्रियों** के उत्पादन में किया जा सकता है।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि The Vision

नोट :